न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :— 105/2019

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
ओमप्रका”ा पुत्र हरीराम जाति बावरी निवासी रणसीगांव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :—वादी की ओर से श्री नरपत सिह सोलंकी अधिवक्ता
प्रतिवादी सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :—**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रणसीगांव पटवार क्षेत्र रणसीगांव तहसील बिलाडा की सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 414 रकबा 2.4755 हैक्टैयर किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा सं. 454 रकबा 3.9965 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा सं. 2 कुल रकबा 6.4720 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा वादी के भाई पारसराम का 1/6 हिस्सा, वादी की माता के नाम 1/6 हिस्सा तथा सहखातेदार पेमाराम के नाम 1/2 हिस्सा स्थित है। सबूत के रूप में जमाबन्दी खाता सं. 1657 संवत् 2076 से 2079 की पे”ा है। वादी का वास्तविक नाम ओमप्रका”ा पुत्र हरीराम है। वादी के ओमप्रका”ा नाम से ही मतदाता सूची भामा”ााह कार्ड,रा”ान कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता इत्यादि बने हुए है। जबकि वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में ओमप्रका”ा के स्थान पर सोनाराम पुत्र हरीराम मानवीय भूल से दर्ज कर लिया गया। जबकि वादी का नाम कभी सोनाराम पुत्र हरीराम नही रहा। इसी प्रकार वादी के माता का नाम गलकाई पत्नी हरीराम है। वादी की माता का स्वर्गवास हो चुका है। वादी का माता का जड़ावली कभी नहीं रहा। परन्तु वादी की माता गलकाई के माता का नाम भी गलकाई की जगह जड़ावली के रूप में दर्ज कर लिया गया है। वादी के भाई व बहिने में आपस में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। वादी के माता गलकाई के हक हिस्से की भूमि में वादी व वादी के भाई व बहिनें के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाया जाना है। सोनाराम पुत्र हरीराम व जड़ावली पत्नी हरीराम के नाम से ग्राम रणसीगांव में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। वादी ओमप्रका”ा पुत्र हरीराम व गलकाई पत्नी हरीराम का नाम ही अ”ाुद्धि के रूप में राजस्व रेकर्ड में सेवन से गलत इन्द्राज किया गया। [illegible] अपनी पु”तैनी वादग्रस्त खातेदारी के राजस्व रेकर्ड में अ[illegible]क नाम अनुसार शुद्धि की घोषणा करवाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। वाद बाबत घोषणा वादी स्वयं

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:15:11 IST
Reason: SelfAttested

के नाम व माता के नाम से शुद्धि की घोषणा बाबत होने से अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

अन्त में वाद पे”ा कर निवेदन किया कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आ”ाय की जारी फरमाई जावें कि वाद के पद सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम सोनाराम के स्थान पर ओमप्रका”ा व वादी की माता जड़ावली पत्नी हरीराम के स्थान पर गलकाई पत्नी हरीराम के रूप में घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने का आदे”ा दिया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार ने जवाब पे”ा किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रणसीगांव के खसरा नम्बर 454 रकबा 3.9965 हैक्टेयर खसरा नं. 414 रकबा 2.4755 हैक्टेयर कुल खसरे 2 रकबा 6.4720 हैक्टेयर जो कि जड़ावली पत्नी हरीराम 1/6, पारसराम पुत्र हरीराम 1/6, सोनाराम पुत्र हरीराम 1/6 तथा पेमाराम पुत्र भानाराम 1/2 जातियान बावरी के नाम दर्ज है। खातेदार हरीराम के फौत होने पर नामा. सं. 920 विरासत क द्वारा पारसिया, सोमाराम पुत्र हरिया, नाबा. की वली जड़ावली पत्नी हरिया के नाम दर्ज हुए है। वर्तमान जमाबन्दी चौसाला में सोमाराम के स्थान पर सोनाराम दर्ज है। पटवारी हल्का ने अपनी जांच रिपोर्ट में हरिराम को फोत होना बताया तथा हरिराम के दो पुत्र 1. पारसराम 2. सामाराम, दो पुत्रियां 1. उगमादेवी 2. पप्पूदेवी तथा पत्नी गलकाई पत्नी हरीराम होना बताया। प्रार्थी ओमप्रका”ा ने सरकारी दस्तावेज रा”ानकार्ड, परिचय पत्र, आधारकार्ड इत्यादि प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरा नाम इन दस्तावेज में ओमप्रका”ा दर्ज है। नामा. में मेरा नाम सोमाराम गलत दर्ज हुआ है। तथा मेरी माता का नाम भी परिपय पत्र, आधार कार्ड इत्यादि में गलकाई दर्ज है। नामा. में जड़ावली गलत दर्ज हुआ है। पटवारी हल्का ने मौका फर्द में सोमाराम व ओमप्रका”ा तथा जड़ावली व गलकाई का एक ही व्यक्ति होना बताया है। वादी राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में सोमाराम के स्थान पर ओमप्रका”ा व जड़ावली के स्थान पर गलकाई दर्ज करवाना चाहता है। अन्त मे जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम रणसीगांव के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में ख.नं. 414 व 454 में सोमाराम के स्थान पर ओमप्रका”ा तथा जड़ावली के स्थान पर गलकाई किया जाता है। तो भूमिधारी को कोई आपति नहीं है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या सरकारी पैरोकार की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण पत्रावली में तनकीयात की आव”यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर को गयी। वादी की ओर से स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पे”ा किया गया जिसे रेकर्ड पर लिया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रद”ा 1 जमाबन्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:15:11 IST
Reason: SelfAttested

संवत् 2076 से 2079 खसरा नम्बर 414, 454 ग्राम रणसीगांव, प्रद”र्ा 2 पहचान पत्र ओमप्रका”ा पुत्र हरीराम, प्रद”र्ा 3 आधारकार्ड ओमप्रका”ा पुत्र हरीराम, प्रद”र्ा 4 भामा”ााह कार्ड, प्रद”र्ा 5 परिवार रा”ान कार्ड, प्रद”र्ा 6 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की डायरी प्रतिलिपि ओमप्रका”ा, प्रद”र्ा 7 पहचान पत्र गलकाई पत्नी हरीराम, प्रद”र्ा 8 आधारकार्ड गलकाई पत्नी हरीराम, प्रद”र्ा 8 मृत्यु प्रमाण पत्र गलकाई पत्नी हरीराम इत्यादि आदि पे”ा किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम ओमप्रका”ा पुत्र हरीराम तथा वादी की माता का नाम गलकाई पत्नी हरीराम दर्ज है जबकि राजस्व रेकर्ड में वादी की खातेदारी सोनाराम पुत्र हरोराम तथा वादी की माता की खातेदारी जड़ावली पत्नी हरीराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम ओमप्रका”ा पुत्र हरीराम तथा अपनी माता का नाम गलकाई पत्नी हरीराम की घोषणा कराना चाहता है। वादी की साक्ष्य अखण्डित रही, जिसका प्रतिवादी द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया इसलिये वादी का दावा स्वीकार किये जाने योग्य होने से वादी का दावा स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 414 रकबा 2.4755 हैक्टेयर, खसरा नं.454 रकबा 3.9965 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सयुक्त खातेदार सोनाराम पुत्र हरीराम तथा जड़ावली पत्नी हरीराम के स्थान पर ओमप्रका”ा पुत्र हरीराम तथा वादी की माता गलकाई पत्नी हरीराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे”ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल”ुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:15:11 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **भवानी सिंह, आर.ए.एस.**

वादी	बनाम	प्रतिवादी
ओमप्रका”ा पुत्र हरीराम जाति बावरी निवासी रणसीगांव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 105/2019

निर्णय दिनांक :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरपतसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे”ा होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 414 रकबा 2.4755 हैक्टेयर, खसरा नं.454 रकबा 3.9965 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सयुक्त खातेदार सोनाराम पुत्र हरीराम तथा जड़ावली पत्नी हरीराम के स्थान पर ओमप्रका”ा पुत्र हरीराम तथा वादी की माता गलकाई पत्नी हरीराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे”ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			[illegible] तलबाना		
मीजान			[illegible]		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाज[illegible] दो[illegible]रीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:15:11 IST
Reason: SelfAttested